

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: jsecy.tad@gmail.com Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.6/लेखा/सीटीएडी/275(1)प्रस्ताव/2019-20
प्रतिष्ठा में

जयपुर, दिनांक 10/02/2020

स्वीकृति सं० 99/2019-20

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय - वित्तीय वर्ष 2019-20 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में विभागीय आवासीय विधालयों तथा छात्रावासों में स्काउट एवं गार्ड गतिविधियों के संचालन हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि रु. 06.21 लाख की आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी. डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग- (i) आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी /275(1)प्रस्ताव /2019-20 में प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 132000033 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में।

(ii) भारत सरकार की स्वीकृति क्र. एफ. न. 11015/02(20)/2019-Grant दिनांक 31.07.2019

1. **स्वीकृति-** वित्तीय वर्ष 2019-20 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में विभागीय आवासीय विधालयों तथा छात्रावासों में स्काउट एवं गार्ड गतिविधियों के संचालन हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि रु. 06.21 लाख की आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी. डी. खाते में हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

2. **योजना-** विभागीय आवासीय विधालयों तथा छात्रावासों में स्काउट एवं गार्ड गतिविधियों का संचालन

3. **वित्तीय वर्ष -** 2019-20

4. **राशि-** 06.21 लाख (अक्षरे राशि रु. छः लाख ईक्कीस हजार मात्र)

5. **बजट मद-**

माँग संख्या -30

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण।

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।

(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ।

[11] धारा 275(1) के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में स्काउट एवं गार्ड कार्यक्रम।

12 सहायतार्थ अनुदान। (गैर संवेतन)

6. **राशि पीडी खाते में -** राशि रु. 06.21 लाख आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

7. **शर्त:-**

1. राशि का उपयोग उन्हीं कार्यक्रमों पर किया जाएगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने होंगे।
3. स्वीकृति जारी होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत यदि कोई राशि शेष रहती है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।
4. राशि का व्यवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों/विभागों के खाते भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अंकेक्षण हेतु खुले रहेंगे।
6. राशि का व्यय नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
7. स्वीकृति से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति का रहन/बेचान राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
8. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।
9. विभाग राशि के व्यय में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा।

10. भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की प्रासंगिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करे तथा जिस स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है, विभाग उसी स्कीम पर यह राशि व्यय करेगा।

नोट:- यह स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की एकल पत्रावली संख्या एफ.6/लेखा/सीटीएडी/275(1)प्रस्ताव/2019-20 पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर उन्ही की पत्रावली पर जारी की जा रही है। स्वीकृति जारी करने के उपरान्त मूल पत्रावली आयुक्त कार्यालय को भिजवाई जा रही है।

8. संलग्न- निल।

9. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-11) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 132000033 दिनांक 06.02.2020 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी की गई है।

संवदीय,



(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

10. प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव-मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक-मंत्री, टीएडी/निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट/लेख)।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)
4. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त स्वीकृत राशि रु. 6.21 लाख स्वीकृति में वर्णित प्रकार से उनके पी.डी. खाते में हस्तान्तरित करवाने हेतु प्रेषित है।
5. अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति की प्रति संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर से प्रेषित करने का श्रम करे।
6. जिला कलेक्टर उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही एवं बांरा।
7. वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कोषाधिकारी को बजट ऑनलाईन आईएफएमएस. स्थानान्तरण अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।
8. कोषाधिकारी, उदयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
10. एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
11. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।
12. गार्ड फाईल।

11. आज्ञा से,

लेखाधिकारी

स्वीकृति सं० 99/2019-20
दिनांक - 10/02/2020